नकल आदेश दिनांक- 17/06/2016 पारित द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी तुलसीपुर जिला बलरामपुर। मु० नं०-193 अन्तर्गत धारा-143 उ०प्र० ज०वि० अधि० ग्राम- चरनगहिया परगना व तहसील तुलसीपुर जिला बलरामपुर उनवान अमित कुमार सिंह बनाम उ०प्र० सरकार आदि। तारीख फैसला - 17/06/2016

न्यायालय उपजिलाधिकारी तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर।

वाद सं०- 589/16

अं० धारा-143 भू० रा० अधिनियम
ग्राम-चरनगहिया परगना व
तहसील-तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर।

अमित कुमार सिंह प्रबन्धक डी०पी०एस० इंस्टिट्यूट प्रति उ०प्र० सरकार
आदि

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत वाद अमित कुमार सिंह पुत्र दिलीप सिंह नि ० एम -461 . आवास विकास कालोन बड़गांव गोण्डा द्वारा दिनांक 22/08/2015 को प्रस्तुत कर याचना किया गया है कि गाटा सं 150 रकबा 1-100 हे० तथा गाटा सं ० 152/1 रकबा 0-126हे 0 स्थित ग्राम चरनगहिया परगना व तहसील तुलसीपुर जनपद बलरामपुर पर बहैसियत प्रबन्धक संस्था उपरोक्त काबिज व दाखिल है । गाटा सं ० 150 में भवन निर्मित है तथा शेष भूमि में किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है । उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा पूर्णतया अकृषिक भूमि है । इसलिए उपरोक्त आराजी को आबादी घोषित कराना चाहता है ।

प्रकरण की जांच तहसीलदार तुलसीपुर से करायी गयी तहसीलदार तुलसीपुर द्वारा प्रकरण की जांच कर आख्या दिनांक 21/11/2015 को प्रस्तुत किया गया है । उपर पंजीकृत कर पक्षों को नोटिस जारी किया गया । जो बाद तामीला सलग्न पत्रावली है ।

वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये । बहस सुनी गयी । विपक्षी श्रीमती हमीदा क विद्वान अधिवक्ता के द्वारा वकालत नामा दाखिल कर आपत्ति हेतु अवसर मांगा गया । परन्तु विपक्षी के द्वारा आज तक कोई आपत्ति पत्र दाखिल नहीं किया गया है । जिससे स्वतः स्पष्ट है कि विपक्षी को इस सम्बन्ध में कुछ नही कहना है । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तहसीलदार तुलसीपुर की जांच आख्या का अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट है कि गाटा 150 रकबा 1-100 हे० डी०पी०एस० इंस्टिट्यूट ग्राम चरनगहिया परगना व तहसील तुलसीपुर जनपद बलरामपुर द्वारा प्रबंधक अमित कुमार सिंह पुत्र दिलीप सिंह सा० म० न० 61 आवास विकास कालानी पर० व तह० गोण्डा के नाम दर्ज कागजात है । उक्त गाटा स ० के सम्पूर्ण भाग पर डी०पी०एस०इंस्टिट्यूट के भवन एवं बाउन्ड्री लगभग दो वर्षो से बना हुआ है एवं विधालय संचालित है । जिसका अकृषिक के रूप में हो रहा है । उक्त गाटा सं ० 150 रकबा 1-100हे० डी० पी० एस० इंस्टिट्यूट का भवन एवं बाउन्ड्री बना होने के कारण अकृषिक है । उक्त रकबा के सम्बन्ध में रा०नि० गैसडी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 07/06/2016 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि गाटा सं ० 150 रकबा 1-100हे० का मालिक 21450-00 (इक्कीस हजार चार सौ पचास रूपया) है । जिसे चालान सं० 4 / 17-06-2016 से भारतीय स्टेट बैंक शाखा तुलसीपुर में गया है । उक्त भूमि अकृषिक है और भु-राजस्व से मुक्त किया जाना न्यायोचित है ।

आदेश

अस्तु ग्राम चरनगहिया परगना व तहसील तुलसीपुर जनपद बलरामपुर की गाटा सं० 150 रकबा 1-100हे 0 भूमि पर डी०पी०एस०इंस्टिट्यूट का भवन एवं बाउन्ड्रीवाला बना होने के कारण अकृषिक घोषित करते हुए भु-राजस्व से मुक्त से मुक्त किया जाता है । राजस्व से मुक्त अंकना करायी जाय । बाद अवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांक 17/06/2016

उपजिलाधिकारी
तुलसीपुर

नोट- नकल मुताबिक असल है।
फैयाज/नकलनवीस-2
मिलानकर्ता
सत्य प्रतिलिपि

प्रबंधक
डी0 पी0 एस0 इंस्टीट्यूट
चरनगहिया तुलसीपुर, बलरामपुर